| सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियाँ | प्रबंधन के उत्तर |
|---|---|
| xiii) अनूसूची 24के नोट संख्या 14 (य) (4)आईडीबीआय और कैनरा बैंक को वर्ष के लिये भुगतान योग्य रकम, दंडिय ब्याज 391.51 लाख रू. और कुल 2264.22 लाख रू. का प्रावधान नहीं किया गया है । | आई डी बी आई और कैनरा बैंक को भुगतान योग्य ऋण पर ब्याज के लिये 520.30 लाख रूपये ब्याज और 31.3.2005 तक 3924.69 लाख रूपये उपलब्ध कराया है । दोनो बैंक मूल रकम प्राप्त कर एक समय निर्धारण के लिये राजी हो गये है । यह दोनो समाधारण मंजूरी की 17 मार्च 2006 में आयोजित बैठक में सरकार की पुष्टि की गयी है । इस स्थिति में सीका के प्रावधानों के अनुसार ऋण करार में उपलब्ध दंडीय ब्याज की आवश्यकता का प्रावधान जरूरी नही है । |
| xiv)अनूसूची 24के नोट संख्या 14 (घ) (2) वर्ष के लिये सांविधिक बकाया भुगतान न करने पर दंडिय ब्याज 87.44 लाख रू. कुल 407.41 लाख रू. लगभग का प्रावधान नहीं किया है । | कंपनी सीका के प्रावधानों के अंतर्गत इसलिये किसी भी दंडिय ब्याज के लिये वचनबद्ध नहीं है । यह तथ्य कंपनी की अनुसूची 24, 14, (2) में उचित रूप से उद्घाटित किया गया है । |
| xv)अनूसूची 24के नोट संख्या 14 (ग) जीएपीएल के शेयरों के अपनियोजन पर 1997-88 से भारत सरकार द्वारा वसूल योग्य अप्रत्याभूत अग्रिम 43.35 लाख रू. दिखाया गया है इसका प्रावधान नहीं किया गया है । | कोई भी प्रावधान आवश्यक नही है क्योंकि दिनांक 17 मार्च 2006 को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित पुनरुत्थान योजना में इस मामले की ओर ध्यान दिया गया है । |
| xvi) अनूसची 24 के नोट सं. 14 (ध )किर्लोस्कर इन्वेस्टमेंट और लिजिंग लि, वर्ष के लिये सेवा प्रभार, दंडिय ब्याज, बकाया ब्याज 521.94 लाख रूपये और कुल 1628.06 लाख रूपये लगभग भुगतान योग्य रकम का प्रावधान नहीं किया है । | कंपनी के लेखा में अतिरिक्त प्रावधान उपलब्ध कराया गया है अधिशेष ब्याज दंडिय ब्याज इत्यादि सीका के प्रावधानों के अंतर्गत भुगतान योग्य नहीं है । |
| हम आगे रिपोर्ट करते है कि उपरोक्त धारा vii से xii में उल्लिखित मदों के बिना विचार विमर्श के इसका प्रभाव के ज्ञात नहीं हुआ है । यदि हम उपरोक्त उपधारा (xiii से xvii) उपरोक्त पर यदि हम विचार करे तो वर्ष के लिये हानि 1712.81 लाख रूपये अधिक होगी । | हमने उपधारा vii से xii में उल्लिखित मदों के उत्तर हम पहले ही स्पष्ट कर चुके है अतिरिक्त प्रावधान बनाने की आवश्यकता नही है इसलिये लाभ और हानि में प्रक्षेपित हानि उचित है । |
| 10. हमें दिये गये स्पष्टिकरण के अनुसार तुलनपत्र लाभ और हानि लेखा के साथ पठित टिप्पणियाँ कंपनी अधिनियम 1956, की आवश्यकता अनुसार लेखों के साथ पठित है और स्पष्ट और उचित दृष्य प्रस्तुत करते है और यह भारत में स्वीकार्य लेखा नीतियों के अनुसार है ।<br>क. 31 मार्च 2005 को कंपनी व्यवसाय का तुलनपत्र के मामले में ।<br>ख. लाभ हानि लेखा के मामले में वर्ष की समाप्ति दिनांक को हानि<br>ग. नकदी प्राप्ति विवरण के मामले मे उस दिनांक को समाप्त वर्ष के लिये नकदी प्राप्ति | कोई टिप्पणी नही । |

# वर्ष 2004-05 के लिये लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध

## (समदिनांक को हमारी रिपोर्ट अनुच्छेद 3 से संदर्भित )

| सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियाँ | प्रबंधन के उत्तर |
|---|---|
| 1. क) कंपनी ने मात्रागत विवरण सहित सिर्फ स्थायी संपत्तियों के स्थान को छोडकर स्थायी परिसंपत्तियों को दिखाते हुए संगणिक रिकार्ड का ब्यौरा रखा है । अन्य ब्यौरा जैसे एकक का व्यक्तिगत मूल्य, मात्रागत ब्यौरा, कास्ट सेंटर या अन्य के अनुसार विशेष योग कटौती/जमा अन्य समायोजन जैसे की 1975-76 से 31 मार्च 1989 तक समायोजन नहीं किया है। वर्ष के अंत में मूल्य-हास को प्रभावी दिखाते हुए हटाए जाने । निपटान करने और स्थानांतर को सिर्फ रजिस्टर में वर्ष के अंत में किया गया है । | कोई टिप्पणी नही । |
| ख) हमें सूचित किया गया है कि वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा कुछ स्थायी परिसंपत्तियों का वास्तविक पडताल किया गया है । परिसंपत्तियों की पडताल और समायोजन बहि पुस्तिका में उचित रूप से पंजीकृत नहीं गया गया है । कमी यदि कोई ज्ञात नहीं हो सकी है । वास्तविक पडताल की अवधि और विस्तार को अधिक मजबूत बनाने की आवश्यकता है । | परिसंपत्तियों का वास्तविक पडताल निरंतर आधार पर किया जाता है और सभी परिसंपत्तियोंका वास्तविक पडताल 4 वर्षो में एक बार किया गया है। |
| ग) कंपनी की स्थाई परिसंपत्तियों को वर्ष के दौरान पुनः मूल्यांकन नहीं किया गया है । | कोई टिप्पणी नही । |
| ii) क) कंपनी में आंतरिक लेखा विभाग है जो मुख्यालय का अंतिम माल, अतिरिक्त पूर्जे और कच्चे माल का वास्तविक पडताल करता है । विभिन्न शाखाओं/डिपों में पडे स्टाक और मुख्यालय में रखे रिकार्ड के साथ वास्तविक पडताल संपूर्ण वर्ष में नहीं हुआ है । | मुख्यालय में पडे स्टॅाक का स्टॅाक रिकार्ड मुख्यालय में रखते है । जब स्टॅाक शाखाओं/डिपों का स्थानांतरित किया जाता है तो उसका उचित लेखाकरण मुख्यालय और शाखाओं में और मूल्य समायोजन किया जाता है । स्टॅाक का जो शाखा/डिपो उसका वास्तविक पडताल डिपो और शाखाओं में आंतरिक लेखा परीक्षक द्वारा किया जाता है। |
| ख) स्टॅाक के वास्तविक पडताल के लिये प्रबंधन और सनदी लेखापाल फर्म की पद्वति समुचित है । उसे कंपनी के कार्य और व्यापार के अनुसार उचित है । | कंपनी सतत आवक पडताल प्रणाली निभाती है जो कि हिं.एंटि. लि. के कर्मचारी द्वारा सनदी लेखापाल फर्म के प्रतिनिधि के निरीक्षण के अंतर्गत होता है । यह प्रणाली समुचित है और पूर्व में भी स्टॅाक में कमी या अधिक की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है । |
| ग) कंपनी ने मालसूचियों का उचित रिकार्ड रखा है । हमे सूचित किया गया है कि स्टॅाक की वास्तविक पडताल में | कोई टिप्पणी नही । |

| सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियाँ | प्रबंधन के उत्तर |
|---|---|
| पाई गई कमियाँ बही खाते की तुलना में महत्वपूर्ण नहीं है और उन्हें लेखा बहियों में उचित रूप से दिखाया गया है। | कोई टिप्पणी नही । |
| iii) क) हमारी राय में और हमें दिये गये सूचना के आधार पर कंपनी ने अधिनियम के अनुभाग 301 के अंतर्गत रखे गये रजिस्टर में सूचित फर्म और अन्य पार्टियों समान प्रबंधन से अधिसूचित पार्टियों को प्रत्याभूत या अप्रत्याभूत से ऋण मंजूर नहीं किया है । | कोई टिप्पणी नही । |
| ख) हमारी राय मे और हमे दिये गये सूचना और विवरण के अनुसार अधिनियम के अनुभाग 301 के बनाये गये रजिस्टर में सूचित फर्म और अन्य पार्टियों से किसी प्रकार का प्रत्याभूत और अप्रत्याभूत ऋण प्राप्त नही किया है । | कोई टिप्पणी नही । |
| iv) हमारी राय में मालसूचियों की खरीदी और अन्य स्थायी परिसंपत्तियों और माल और सेवाओं की बिक्री के आंतरिक नियंत्रण पद्वति कंपनी के कार्य व्यापार के अनुसार उचित है आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की मुख्य कमजोरियों को ठीक करने के लिये निरंतर कोई भी असफलता नहीं हुई है । जबकि हमारी राय में शाखा के स्थानांतरित और प्राप्त स्टॉक से संबंधित लेखाकरण और नियंत्रण को मजबूत बनाने की आवश्यकता है । | कंपनी के पास माल के शाखा मे लेखाकरण और स्थानांतरण के लिये समुचित प्रणाली है और पूर्व में भी इसमे महत्वपूर्ण कमियां नहीं पायी गयी है । |
| v) क) हमें दिये गये सूचना और विवरण और हमारे ज्ञान और विश्वास के आधार लेते हुए हमे विश्वास है के अनुसार तथ्य आवश्यकता और परिस्थिति के अनुसार कंपनी ने अधिनियम के अनुभाग 301 के अंतर्गत बनाये गये रजिस्टर में करार और व्यवस्था को अनुसार दर्ज किया है । | कोई टिप्पणी नही |
| ख) इस प्रकार के करार या व्यवस्था का लेनदेन और उसके मूल्य के संबंध में माल की खरीदी प्रदान किये गये माल और सेवाएं बाजार में व्याप्त मूल्य या किसी अन्य पार्टी से उसी मूल्य पर समान माल प्राप्त करने की अनुसार है । | कोई टिप्पणी नही |
| vi) वर्ष के दौरान कंपनी ने जनसामान्य से जमा स्वीकार नहीं किया है और तदानुसार संबंधित अधिनियम के अंतर्गत अन्य संबंधित प्रावधान या अनुभाग 58(क)और अनुभाग 58 | कोई टिप्पणी नही |

| सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियाँ | प्रबंधन के उत्तर |
|---|---|
| (क) और उसके अंतर्गत बनाये गये जमा के स्वीकार्य नियम कंपनी को लागू नहीं होते है । | |
| vii) कंपनी ने मुख्यालय और डिपो के आंतरिक लेखा परीक्षण और लेखा परीक्षण के लिये अनेक सनदी लेखापाल की फर्म नियुक्त किया है । कंपनी के मुख्यालय में आंतरिक लेखा विभाग है जो कि सनदी लेखापालों परिवीक्षा समन्वय और अनुवर्ती कार्यवाही करता है ।<br><br>हमारी राय में मुख्यालय और डिपो कार्यालय के आंतरिक लेखा परीक्षा का दायरा कंपनी के कार्य व्यापार के अनुसार मजबूत बनाना चाहिये । जबकि वर्तमान प्रणाली में कंपनी द्वारा जारी मार्गदर्शन का कडाई से अनुपालन से इससे सुधार किया जा सकता है । | कंपनी मुख्यालय और डेपो के लिये सनदी लेखापाल को स्वतंत्र आंतरिक लेखा परीक्षक नियुक्त करती है । उनके कार्य की परिधि कंपनी के व्यापार और कार्य के अनुसार पूर्व निधारित की जाती है और वह पर्याप्त है । |
| viii) कंपनी के कुछ उत्पादों के संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम 1956 के अनुभाग यू/एस 209 (1) (घ) के अर्न्तगत निर्धारित लागत रिकार्ड बनाये गये है । जैसा कि हमें सूचित किया गया है कंपनी द्वारा इस संबंध में उचित रिकार्ड रखे गये है जबकि यह रिकार्ड यथार्थ और पूर्ण है इस संबंध में हमने परीक्षण नहीं किया है कंपनी ने संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष कंपनी अधिनियम 1956 के लागत लेखा परीक्षण यूएस 233(ख) के अनुसार छूट प्राप्त करने के लिये आवेदन किया है । | कंपनी ने बल्क के साथ साथ फार्मूलेशन के लिये लागत लेखा परीक्षण की छूट के लिये आवेदन पत्र दिया है जबकि उसे फार्मूलेशन के लिये मंजूरी नहीं मिली है । लागत लेखा परीक्षण 2002-03 वर्ष के लिये और उसके आगे प्रथम वर्ष 2006-07 में किया जायेगा । |
| ix) संविधिक और अन्य बकाया के सबंध में हमें दिये गये सूचना और विवरण के अनुसार : | |
| क) कंपनी वर्ष के दौरान नियमित रूप से अविवादित सांविधिक बकाया इसके अंतर्गत भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, इन्वेस्टर एज्युकेशन और प्रोटेक्शन फंड, आयकर, बिक्री कर, संपत्ति कर, सेवा कर, सीमा शुल्क उत्पाद, शुल्क, छुट और अन्य सांविधिक बकाया संबंधित प्राधिकारियों के पास जमा नहीं किये है । | समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने उस वर्ष के सभी सांविधानिक बकाया जमा किया है और पूर्व वर्षा के बकाया को कम किया है। लेखा परीक्षकों द्वारा बताये गये आंकडे पूर्व अवधि से संबंधित है और इन्हे पुनरूत्थान मे ध्यान दिया गया है । |

| सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियाँ | प्रबंधन के उत्तर |
|---|---|

दिनांक 31.3.2005 को तक कुछ बकाया इस प्रकार है :-

| विवरण | 31.4.2005 को तक बकाया की रकम इस प्रकार है (रू. लाखों में) |
|---|---|
| भविष्य निधि | 623.67 |
| बिक्री कर | 1212.57 |
| केन्दीय बिक्री कर | 109.43 |
| टीडीएस | 214.74 |

ख) हमें दिये गये सूचना और विवरण के अनुसार बकाया पर विवादित बिक्री कर, आयकर, सीमा शुल्क संपत्ति कर सेवा कर, उपकार को संबंधित प्राधिकारियों के पास जमा नहीं कराया गया है जहा पर विवाद लंबित है उनका ब्यौरा इस प्रकार है :-

संबंधित प्राधिकारियों से इस संबंध में चर्चा जारी है ।

| विवरण | वित्तीय वर्ष जिससे मामला संबंधित है | मामला कहा लंबित है | विवादित रकम (निवल भुगतान किया) रू.लाखों में |
|---|---|---|---|
| आयकर | 1996-97 | केन्द्रीय आयकर और आयटीएटी पुणे | 42.46(ब्याज) |
| | 1997-98 | आयटीएटी पुणे | 13.56(ब्याज) |
| | 1998-99 से 2000-01 | आयकर आयुक्त कर (अपील) | 59.40(ब्याज) |
| बिक्री कर | 1998-99 से 1999-00 | बिक्री कर ट्रिब्यूनल मुंबई | 280.08 |
| | 1998-99 से 2002-03 | उप / सहा आयुक्त बिक्री कर पुणे | 77.18 |
| | 2000-01 | उप / सहा आयुक्त बिक्री कर पुणे | 356.82 |